उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 89–का०वि०नी० एवं विनियम–29/पाकालि/2019–10–काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 04 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा 04.02.2019 को परिचालन विधि से लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते है :–

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–9 का परिशिष्ट–1(क) की श्रेणी–प–4 (वेतनमान रू0 1200–1800) के बिन्दु–(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक–30 (पदनाम–तकनीशियन ग्रेड–।। (लाइन)) में वर्णित निम्नवत् तालिका–01 को तालिका–02 से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

तालिका–01

क्रम सं0	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्त्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
30.	लाईनमैन, टावरमैन	तकनीशियन ग्रेड–2 (लाईन)	शून्य	देवनागरी लिपि पढ़ना– लिखना जानता हो और श्रेणी प–3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प–2 में 10 वर्ष नयूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	श्रेणी प–3 में ड्यूटी असिस्टेन्ट लाइन मैन कम्पलेन्ट रिकार्डर श्रेणी प–2 में कुशल श्रमिकों से पदोन्नति द्वारा।

तालिका–02

क्रम सं0	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्त्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
30.	लाईनमैन, टावरमैन	तकनीशियन ग्रेड–2 (लाईन)	(1) मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण–पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है :– (क) वायरमैन (ख) इलेक्ट्रीशियन (ग) लाईनमैन (2) कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान (3) Basic skill test *	देवनागरी लिपि पढ़ना–लिखना जानता हो और श्रेणी प–3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प–2 में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

** सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित कार्मिकों को लाइनमैन के पद के आवश्यक कार्य (यथा–पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाईन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि) किये जाने की अहर्ता को सुनिश्चित किये जाने लिए Basic skill test लिया जाये। Basic skill test को उत्तीर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को 01 वर्ष का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त मूल्यांकन करने के बाद ही लाइनमैन के पद हेतु निर्धारित समस्त आवश्यक कार्यों को सत्यनिष्ठा के साथ सम्पादित किये जाने की घोषणा–पत्र के साथ नियुक्ति दी जाये।*

F:\Kavini All\kavini files\Viniyam\10-Viniyam-17\Letter.doc

2. उपरोक्त तालिका–2 की व्यवस्था को प्रतिस्थापित किये जाने के उपरान्त विज्ञप्ति सं0 263–विनियम–23/रा0वि0प0–95–4–विनियम/86 दिनांक 09.08.1995 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–9 का परिशिष्ट–1(क) की श्रेणी–प–4 (वेतनमान रू0 1200–1800) के बिन्दु–(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक–30 में (टी0जी0–।। (लाइन) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अहर्ता एवं भर्ती का स्त्रोत) उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0 89–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0कारपोरेशन लि0।
10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
15- अनु सचिव (सचि0प्रशा0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12.12.2017 को परिचालन विधि से लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
20- श्री अजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त सचिव (वित्त), कक्ष सं0 517, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्मिकों हेतु बनायी जा रही नवीन विनियमावलियों में सम्मिलित करने के सन्दर्भ में।
21- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)

F:\Kavini Ali\kavini files\Viniyam\10-Viniyam-17\Letter.doc